

फर्द अहकाम

(नियम 15)

शालत उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट टोडाभीम (करौली)

गामभरोषी बनाम सरकार

दमा दावा इस्तकशरुत्क नं. ----- सन् 2007

इन्साज इकली

व हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23/2/07	<p>वादी वकील श्री सुरेशचन्द्र शर्मा एड ने दावा वापत इस्तकशरुत्क / इन्साज इकली पेश किया, उत्तुत रिपोर्ट, शपथ पत्र का अपेक्षित किया, आतः दावा दर्ज रजिस्टर होकर समग्र प्रारिवादीगण जारी हो पत्रावली दि० 30/3/07 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)</p>
30/3/07	<p>वादी वकील उपस्थित / समग्र प्रारिवादीगण वाकील होकर प्राप्त नहीं हुए इन्साज वाकील दि० 19/4/07 को पेश हो।</p>
19/4/07	<p>वादी वकील उपस्थित / प्रारिवादीगण को और से कायमुद सुपण कोई उपस्थित नहीं उनके किन्तु एक पत्रिका कार्यवाही अमल में भेदि जाना है वसत साइडवाइ दि० 10/5/07 को पेश हो।</p>
10/5/07	<p>वादी वकील उपस्थित / 500 सा कायुन वाकशुत में दिखान पधार है। गवाबदार दि० 24/5/07 को पेश हो।</p>

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीर

दिनांक	फर्द अहकाम
22.12.14	<p>वादी पत्नील उप. / तहसीलदा से लिपिठ डूडा कस्तगा लिपिठ दि. 9.2.15 को पेश हो।</p> <p>9 ²/₁₅ वकुलाय उपरियत/पीठासन अधिकारी को ही मीटिंग से पंचोरे है। गतानुसार दिनांक 10.3.15 को पेश हो।</p>
16 ³ / ₁₅	<p>पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 20.4.15 को पेश हो।</p>
20 ⁴ / ₁₅	<p>फतापवी पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगित रखा। गतानुसार दिनांक 19.5.15 को पेश हो।</p>
23.6.15	<p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर किरवाडा में दिनांक 23.6.15 को पेश हो।</p>
23.6.15	<p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर किरवाडा में पेश हुई। कालि स्वंप उपस्थित हुआ। राजीनामा इस कारण से पेश किया है कि वह इस मुद्दा को छोड़ने-चलाना नहीं चाहता है प्रकरण को इसी स्टेज पर खारिज कर दिया जावे। राजीनामा को पढ़का सुनाया।</p>

(लगावक)
 उप जिला कलेक्टर
 टोडाभीर (कपौली)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम (9)

फर्द अहकाम

जाया। सही होना स्वीकार दावा को खारिज करने
की सहमति प्रकट की।

उक्त: वादी द्वारा पेश राजीनामा के
आधार पर दावा खारिज किया जाता है।
पत्रावली केसलत शुमार होना जम्बर से कम
होना दाखिल इफ्तार हो।

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)